

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 68 वर्ष 2024

आवेदक—बाबूजी मांझी,
 ग्राम—सोनहर,
 थाना—कसमार, जिला—बोकारो,

क्रेता—श्रवण कुमार दुडू
 ग्राम—सोनहर,
 थाना—कसमार, जिला—बोकारो,

आदेश की
 क्र० सं० एवं
 तारीख
 01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की
 कार्यवाई के बा
 टिप्पणी तारीख
 साथ :
 03

23/12/24

आदेश

यह वाद आवेदक बाबूजी मांझी, पिता—स्व० चरण मांझी, ग्राम—सोनहर, थाना—कसमार, जिला—बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)/(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः—

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
सोनहर	63	37	205	1.88 ए०	0.04 $\frac{1}{3}$ ए०	टांड

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो० 75,000/रु०—(पचहत्तर हजार) रुपये में क्रेता श्रवण कुमार दुडू पति—दिनाराम दुडू, निवास ग्राम—सोनहर, थाना—कसमार, जिला—बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक—801/रा०, दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक—534, दिनांक 27.08.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः—

01. बिक्रेता एवं क्रेता संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही ग्राम—सोनहर, थाना—कसमार एवं जिला—बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में नेपाल मांझी वगै० के नाम से दर्ज है तथा पंजी—II के पृष्ठ सं० 116 भोलूम सं० 1 में नेपाल मांझी के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2021—22 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा का है। बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में नेपाल मांझी वगै० के नाम से दर्ज है तथा पंजी—II के पृष्ठ सं० 116 भोलूम सं० 1 में नेपाल मांझी के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2021—22 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।

बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- ~~केबला~~ ^{खतियान} की छायाप्रति है, लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता संधाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता एक ही ग्राम, थाना व जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के द्वारा हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक बाबूजी मांझी, पिता-स्व० चरण मांझी, ग्राम-सोनहर, थाना-कसमार, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द०सीमा	पूर्व सीमा	पश्चिम सीमा
सोनहर 63	37	205	1.88 ए०	0.04 $\frac{1}{3}$ ए०	क्रेता नीज	महेश्वर मांझी, बनेश्वर मांझी	विक्रेता नीज	रास्ता
कुल				04 $\frac{1}{3}$ डी० (चार पूर्णांक एक बटा तीन डिसमिल जमीन मात्र)				

मौ० 75,000/- (पचहत्तर हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता श्रवण कुमार टुडू, पति-दिनाराम टुडू, निवास ग्राम-सोनहर, थाना-कसमार, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

25/11/25